

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, पीपलदा  
जिला-कोटा



\* जाति प्रमाण-पत्र \*

क्रमांक R/30/2014/Misc/Digital Caste (SC/ST)/3165

दिनांक 26-07-2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप मीना पुत्र ओमप्रकाश मीना गांव/नगर केशोपुरा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1950,  
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951,  
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुविधा (संशोधन) अधिनियम 1956, सम्पूर्ण पुनर्गठन अधिनियम 1950, इनाम पुनर्गठन अधिनियम 1966, विभाजन  
स्टेट राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संशोधन) अधिनियम  
1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (बम्बू च कासीरी) अनुसूचित जाति अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संशोधन)  
अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अप्रदमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1959, संविधान (दादरा तथा नगार हवेली)  
अनुसूचित जाति, अधिनियम 1962, संविधान (दादरा तथा नगार हवेली) अनुसूचित जनजाति, अधिनियम 1962, संविधान (पांडेपरी) अनुसूचित जाति अधिनियम 1964,  
संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) अधिनियम 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीऊ) अनुसूचित जाति अधिनियम 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा  
दीऊ) अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1968, संविधान (सायलेश्वर) अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी संदीप मीना गांव/नगर केशोपुरा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट:

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ यही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं एफ 21(37) एस जे ई/कम्प्यू/ई जे/08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार पीपलदा

Signature valid

Digitally signed by  
RADHA KISHAN  
NAGAR  
Date: 2014.07.26  
11:42:54  
Reason: ICM  
Location: Rajasthan



1430032010117277